HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3642/2025

Vishnu Prakash S/o Shri Vijay Prakash Baranwal, Resident Of Mohalla Pul Par, Near Nalanda Mishthan Bhandar, Bihar Sharif, Bihar Nalanda Bihar-803101 Recently Residing New Custom House, Ball Lord Estate Mumbai

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Rohitash Meena S/o Shri Bharat Lal Meena, Resident Of Village Ukrood, Police Station Mandawar Recently Residing At Hindone Road, Bhusawar Police Station Bhusawar, District Bharatpur, Raj.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Hemant Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP Mr. Ganesh Dutt Gautam Mr. Ajay Yadav

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

10/07/2025

याचिकाकर्ता की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह याचिका पुलिस थाना– भुसाबर, जिला– भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 592/2024 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता को रद्द व अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध नौकरी का झांसा देकर नकद राशि 25,00,000/– रुपए प्राप्त करने का आरोप अधिरोपित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि परिवादी द्वारा उन्हें समय–समय पर लगभग 2,70,000/– रुपए की राशि शेयर ट्रैडिंग के संदर्भ में दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो आरोप है कि उनके द्वारा नौकरी का झांसा देकर 25,00,000/– रुपए की राशि

परिवादी से प्राप्त की है, वह पूर्णतः असत्य है। याचिकाकर्ता केन्द्र सरकार कर्मचारी है, इसके अतिरिक्त परिवादी को इस प्रकम पर पीडित नहीं कहा जा सकता है, अपितु वह स्वयं अपराधी है, क्योंकि उसके द्वारा नौकरी लगाने के लिए 25,00,000/– रुपए की राशि का परितोषण किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। उनका यह भी तर्क है कि याचिकाकर्ता अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तत्पर है। अतः याचिकाकर्ता को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान की जाए।

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गनेश दत्त गौतम व श्री अजय यादव उपस्थित हैं। उनको याचिका की नकल अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा आज प्रदान की गई है और वह प्रकरण मे जबाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता संरक्षित किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है। इस संदर्भ में संबंधित अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 592/2024, पुलिस थाना– भुसाबर, जिला– भरतपुर अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में गिरफ्तार न किया जाए।

याचिकाकर्ता इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब भी उसे तलब किया जाए उपस्थित हो कर अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करे।

विद्वान् लोक अभियोजक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब प्रस्तुत करें।

प्रकरण दिनांक 25.07.2025 को सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR PRASHAD /60